


Form No. III  
फर्द अहकाम  
( नियम 26 )

अदालत ..... उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम ..... माण्डलगढ़ .....  
 मुकदमा ..... 88-188 RTA ..... नं. ..... 26/21

|           |                                    |  |
|-----------|------------------------------------|--|
| प्र हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नाम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-----------|------------------------------------|--|

21/2/21 वादपत्र सींगे से वाद जाँच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र भेजी जायें। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 22/02/21 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डलगढ़

22/2/21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपरो/प्रतिवादी सं. 1, 2, 4, 5, 6 के वाद तलबी के लिए पत्रावली भेजी जायेगी किन्तु पत्रावली वास्ते तलबी उक्त क. आदेश दिनांक 25/5/21 को पेश हो।



25/5/21

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राजस्थान लॉकडाउन होने एवं मा. राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली दिनांक 25/5/21 को पेश हो।

31/8/21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपरो/वकील वादी सं. 1 पत्रावली में Not press किया गया। डा. आगे कोर्ट कारवाही नहीं चाहते हैं अतः वाद पत्र मन्सूरत धारा 88-188 RTA इनी स्ट्रेज पत्र रखा गया किया जाना है पत्रावली पं. म. शुभा। हुक (नम्बर) से कम है।

Not press



उपखण्ड अधिकारी